

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर (राज0)

-:कार्यालय आदेश:-

क्रमांक :- 56

दिनांक :- 04.05.2020

कोरोना वायरस के प्रभावी नियंत्रण हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक परिपत्र क्रमांक 14/पी.आई./2020 दिनांक 14.04.2020 एवं परिपत्र दिनांक 17/पी.आई./2020 दिनांक 02.05.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसरण में पूर्व में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेशों की निरन्तरता में जैसलमेर मुख्यालय पर आवश्यक सेशन कार्य करने हेतु केवल जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर ही है, इसी प्रकार पोकरण मुख्यालय पर केवल एक अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पोकरण ही है।

जैसलमेर मुख्यालय पर मजिस्ट्रेट स्तर के दो पद क्रमशः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर है। इसी प्रकार पोकरण मुख्यालय पर केवल एक ग्राम न्यायाधिकारी, ही है, जिन्हें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण के मातृत्व अवकाश पर होने के कारण, ए.सी.जे.एम. पोकरण का अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है।

इन परिस्थितियों में नियमित आवर्तन (रोटेशन) का विकल्प नही होने के कारण निम्न अधिकारीगण को अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई हेतु दिनांक 04.05.2020 से 17.05.2020 तक के लिए एतद्वारा आदेशित किया जाता है।

क. सं.	आदेशित अधिकारी	कार्यभार	विडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु वाट्सअप नंबर/स्काईप आईडी/वी.सी. आईडी	ई-मेल आई.डी.
01	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर।	जैसलमेर मुख्यालय पर सेशन स्तर के प्रकरणों की सुनवाई हेतु	Vidyo ID - rj-dsj-jaisal Whatsapp no.- 8003395857	dc-jai-rj@nic.in
02	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	जैसलमेर मुख्यालय पर सभी मजिस्ट्रेट स्तर के प्रकरणों की सुनवाई हेतु	Vidyo ID - rj-dsj-jaisal Whatsapp no.- 8003395858	cjm-jai-rj@hcraj.nic.in
03	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पोकरण।	पोकरण मुख्यालय पर सेशन स्तर के प्रकरणों की सुनवाई हेतु	Vidyo ID - adjpok-jai=rj Whatsapp no.- 9414298408	adjpok-jai-rj@hcraj.nic.in
04	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सांकडा मुख्यालय पोकरण।	पोकरण मुख्यालय पर मजिस्ट्रेट स्तर के प्रकरणों की सुनवाई हेतु	Vidyo ID - adjpok-jai-rj Whatsapp no.- 9024912300	gnsan-jai-rj@hcraj.nic.in

उक्त अधिकारीगण आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई 08:30 ए.एम. से 11:00 ए.एम. जरिये विडियो कॉन्फ्रेंस (विडियो/वाट्सअप/स्काईप/वाईस कॉल अथवा अन्य सुविधाजनक माध्यम) करना तथा पारित निर्णयों/आदेशों को तुरंत प्रभाव से सी.आई.एस. में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

न्यायालयों में नये प्रकरण न्यायालयानुसार ई-मेल आईडी (संलग्न) पर दर्ज करवाये जा सकेंगे। बशर्त पेशकर्ता की ई-मेल आईडी, वाट्सअप नंबर/स्काईप आईडी अंकित की जावें, अन्यथा आवेदन/प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा हार्ड कॉपी न्यायालय कार्य सुचारू होने पर पेश की जावें।

सभी पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति रोटेशन आधार पर हो तथा उपस्थित कर्मचारियों को भी आवश्यक दूरी पर बैठाया जावें।

—sd—
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर।

दिनांक : 04.05.2020

क्रमांक : स्था./2020/1084-98
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रदत्त है:-

1. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जैसलमेर।
2. विशेष न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, जैसलमेर।
3. विशिष्ट न्यायाधीश, एससी/एसटी प्रकरण न्यायालय, जैसलमेर।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर/पोकरण।
5. मुख्य न्यायिक मजि0, जैसलमेर।
6. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि0, पोकरण।
7. प्रिंसिपल मजि0, किशोर न्याय बोर्ड, जैसलमेर।
8. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि0, जैसलमेर।
9. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सांकडा, मुख्यालय-पोकरण।
10. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, जैसलमेर/पोकरण।
11. सिस्टम ऑफिसर, न्यायालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रीडर ग्रेड-I, न्यायालय हाजा।
13. नोटिस बोर्ड, न्यायालय हाजा।
14. कार्यालय प्रति।



जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर।